



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256639
CG-DL-E-27082024-256639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3280]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946

No. 3280]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

का. आ.3597 (अ).—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री सुरेश कुमार कश्यप और श्री मनीष तिवारी को एतद्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में अधिसूचित करती है।

सदस्यों का कार्यकाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा (6) में निहित उपबंधों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. वी. 17014/2/2024-आईएनआई- II]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः प्रधान अधिसूचना को दिनांक 27.01.2020 के का आ. 383 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और निम्नानुसार आगे संशोधन किया गया:

(i) का आ. 1998 (अ) दिनांक 26.04.2023

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2024

S.O. 3597 (E).—In exercise of powers conferred by Section 5(g) of the Post-Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby notifies Shri Suresh Kumar Kashyap and Shri Manish Tewari, elected by the members of Lok Sabha to serve as Members of Institute Body of Post-Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh.

The term of office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the Post-Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh Act, 1966.

[F. No. V-17014/2/2024-INI-II]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 383(E) dated 27.01.2020 and amended further by:

(i) S.O. 1998(E) dated 26.04.2023